सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)
राजस्व वाद संख्या – 83/2018
पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. श्रीमति मांगी पुत्री भूरा जाति कुम्हार निवासी कोहडा तहसील केकडी जिला अजमेर

वादी

बनाम

1. सुरेश पुत्र मथुरा लाल रेगर
2. पप्पू पुत्र मथुरालाल रेगर
3. श्रीमति अनोप पत्नि रामस्वरूप
4. राजू पुत्र रामस्वरूप
5. ललिता पुत्री रामस्वरूप
6. सीमा पुत्री रामस्वरूप
7. निरमा पुत्री रामस्वरूप
8. मेनका पुत्री रामस्वरूप
9. श्रीमति केशर पत्नि श्री मिश्री
10. जगदीश पुत्र मिश्री
11. हंसराज पुत्र मिश्री
    तमाम निवासीगण ग्राम नाईखेडा तहसील केकडी जिला अजमेर
12. श्योनारायण पुत्र गोकल जाति जाट
13. काना पुत्र गोकल
14. छोटी पत्नि भैरू जाट
15. प्रधान पुत्र स्व.भैरू जाट
16. भागचन्द पुत्र स्व.भैरू जाट
17. भागचन्द पुत्र स्व. भैरू जाट
18. कोशल्या पुत्री स्व. भैरू जाट
    तमाम निवासीगण ग्राम कोहडा तहसील केकडी जिला अजमेर
19. प्रहलाद पुत्र काना जाति जाट
20. मांगीलाल पुत्र काना जाति जाट
    तमाम निवासीगण ग्राम कोहडा तहसील केकडी जिला अजमेर
21. अलोल पत्नि मोहन रेगर
22. रामेश्वर पुत्र मोहन रेगर
23. रामप्रसाद पुत्र जेठू रेगर
24. गोकली पुत्री भूरा रेगर
25. रामेश्वर पुत्र मोहन रेगर
26. रामदेव पुत्र मोहन रेगर
    तमाम निवासीगण ग्राम नाईखेडा तहसील केकडी जिला अजमेर
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर तहसील सावर जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, राज. भू राजस्व अधि.
निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

दिनांकः–14.5..2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प पारा में पेश हुई। वादी/प्रतिवादीगण उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। विवरण निम्न प्रकार है–

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा **128, राज. भू राजस्व** के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादीया की वादग्रस्त आराजी **वाके ग्राम कोहडा तहसील केकडी जिला अजमेर के जमाबन्दी स. 2071–74 के खाता स. 207 के खसरा नम्बर 759**

रकबा 3.37 है. व खसरा नम्रब 816/1690 रकबा 0.42 कुल रकबा 3.79 है. वादीया [illegible] दर्ज खातेदार है।

वादग्रस्त आराजीयात में वादीया फसल काश्त करती चली आ रही है। प्रतिवादीगण आये दिन सीमाचिन्ह को मिटा देते है। जिससे आये दिन लडाई झगडा बना रहता है। वादीया द्वारा उक्त आराजीयात का स्थायी पत्थरगढी करवाये जाने हेतु वादी द्वारा यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वादीया का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। पत्रावली दिनांक 14.5..2018 को केम्पकोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प पारा में पेश हुयी। वादी उप.।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया । उपस्थित पक्षकार को सूना । प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादपत्र वादग्रस्त आराजीयात वादीया की स्वयं की खातेदारी आराजीयात होने से वादीया का वाद प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है तथा वाद पत्र का संतुलन भी वादीया के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादीया का दावा **वाके ग्राम कोहडा तहसील केकडी जिला अजमेर के जमाबन्दी स. 2071–74 के खाता स. 207 के खसरा नम्बर 759 रकबा 3.37 है. व खसरा नम्रब 816/1690 रकबा 0.42 कुल रकबा 3.79 है.** भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा राजकोष कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना) मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.5..2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व [illegible]मे आम में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (जिला-अजमेर)

राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार 2018